संख्या-576/2020/2496/22-2-2019-17(1107)/19

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 दिसम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश कुमार पुत्र श्री मंगलचन्द्र गुप्ता, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 06.08.2019, दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कमलेश कुमार पुत्र मंगलचन्द्र गुप्ता, सहसपुर, थाना-गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी द्वारा नाजायज सम्बन्ध को लेकर दिनांक 26.10.2003 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-333/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/**34**, व 4/25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-03, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 29.07.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 24.06.2019 तक 11 वर्ष 07 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 03 माह 13 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, काटी गयी सजा एवं जिला मजिस्टेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कमलेश कुमार (बन्दी संख्या-44802) पुत्र श्री मंगलचन्द्र गुप्ता, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-576/2020/2496(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in